



2026:AHC:27048

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4753 सन् 2026

इल्ताफ

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 15 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : लाल बेहारी यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस में डालकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, यदि विरोधी पक्ष आदेश से व्यथित महसूस करता है तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के उसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त आजमगढ़ को अपील संख्या C202515000003625 (इल्ताफ बनाम अफसर अली) के साथ दायर स्थगन आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश देना है।
4. यह मामला लंबे समय से नीचे के न्यायालय के समक्ष लंबित है और काफी समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2/अतिरिक्त आयुक्त आजमगढ़ को उपरोक्त अपील में दायर स्टे आवेदन को कानून के अनुसार सख्ती से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 6, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"